

Website : <http://ifgtb.icfre.gov.in>  
Email : [dir\\_ifgtb@icfre.org](mailto:dir_ifgtb@icfre.org)

Office : 0091 422 2431942  
Fax : 0091 422 2430549



**वन आनुवंशिकी एवं वृक्ष प्रजनन संस्थान**  
**INSTITUTE OF FOREST GENETICS AND TREE BREEDING**

(भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद)  
(INDIAN COUNCIL OF FORESTRY RESEARCH AND EDUCATION)

(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की एक स्वायत्त निकाय)  
(An autonomous Body of Ministry of Environment, Forests & Climate Change, Govt. of India)

पी. बी.नं- 1061, कोयम्बतूर - 641 002  
P. B. No. 1061, COIMBATORE - 641 002



पत्र सं.सीटीआर-1/2-11/2016/ग्रेड ए

दिनांक: 13.10.2021

**कार्यालय आदेश**

समूह समन्वयक (अनुसंधान) के द्वारा अस्थायी अनुपस्थिति जैसे प्रशिक्षण/दौरे या अन्य कोई कार्य के कारण मुख्यालय में उपलब्ध न होने के दौरान समूह समन्वयक (अनुसंधान) के दिन प्रति दिन के कार्य को देखने एवं कार्यालय को क्रियाशील बनाने के लिये निम्नलिखित अधिकारियों को लिंक अधिकारी के रूप में नामित किया जाता है।

| क्रम सं | समूह समन्वयक (अनुसंधान) के पद पर उपस्थित अधिकारी का नाम | लिंक अधिकारी - 1               | लिंक अधिकारी - 2                     |
|---------|---|--------------------------------|--------------------------------------|
| 1       | डॉ.आर.यशोधरा,<br>वैज्ञानिक - जी                         | डॉ.बि.नागराजन,<br>वैज्ञानिक-जी | डॉ.जॉन प्रशांत जेकब,<br>वैज्ञानिक-जी |

लिंक अधिकारी की भूमिका इस प्रकार होगी:

1. लिंक अधिकारी दौरे, वन अग्रिम आदि की मंजूरी सहित नियमित मामलों को आगे बढ़ायेगा जिन्हें कार्यालय को क्रियाशील बनाये रखने के लिये एक नियमित गतिविधि के रूप में माना जाता है।
2. लिंक अधिकारी संबंधित कार्यालय के किसी भी नीति और गोपनीय मामलों से नहीं निपटेंगे।
3. लिंक अधिकारी स्थायी अधिकारी को दिये गये किसी भी वित्तीय या प्रशासनिक शक्तियों का प्रयोग नहीं करेंगे।

*Rajasekaran*

नामित अधिकारी अवकाश या दीर्घकालिक प्रशिक्षण आदि के लिये जहाँ कार्यभार छोड़ने की आवश्यकता हो, कार्यालय में अनुपस्थित होने पर यह व्यवस्था प्रभावी नहीं होगा।

उपर्युक्त लिंक अधिकारी अपने प्रभाग के नियमित कार्यों के साथ-साथ बिना अतिरिक्त पारिश्रमिक के समूह समन्वयक (अनुसंधान) का पदभार संभालने हेतु उपरोक्त सौंपे गये कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे।

Kul  
08/11/2021  
(डॉ. सि. कुञ्जिकणन)

निदेशक

व.आ.वृ.प्र.सं

वितरण:

1. संबंधित अधिकारियों को।
2. समूह समन्वयक/सभी विभागों के प्रधान/समन्वयक(सु)/निजी सचिव/लेखा अधिकारी/निदेशक के आशुलिपिक/सभी कर्मचारियों को ईमेल द्वारा सूचनार्थ।
3. लेखा अधिकारी, व.आ.वृ.प्र.सं., कोयम्बतूर।
4. सभी विभाग के प्रभारी, निदेशक कार्यालय, व.आ.वृ.प्र.सं., कोयम्बतूर।
5. संबंधित कर्मचारियों के व्यक्तिगत फाइल।
6. डॉ. ए. राजशेखरन, वैज्ञानिक-ई, व.आ.वृ.प्र.सं को इस अनुरोध के साथ कि वेबसाइट में अपलोड करें।
7. गार्ड फाइल।